41328
18-5-23

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषय– सूचना अधिकार अधिनियम –2005, की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में–

महोदय,

निवेदन है कि सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत निम्न लिखित सूचना निर्धारित अवधि 15 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नियमानुसार दस रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या– **57F 189800** डांकघर दादरी पत्र के साथ संलग्न है। आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, सूचना/प्रश्नोत्तरी जो आपके द्वारा उपलब्ध करायी जानी है उसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर/सूचना
1	दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत हरियाणा राज्य से प्राप्त ग्राम सोलड़ा की भूमि जमाबन्दी के आधार पर जिला गौतमबुद्धनगर के तहसील जेवर के प्रस्तावित ग्राम फलैंदा खादर में सम्मलित हुई है, क्या ग्राम फलैंदा खादर (सोलड़ा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिसूचित सूचि में है ?	
2	दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत हरियाणा राज्य से प्राप्त ग्राम झुप्पा की भूमि जमाबन्दी के आधार पर जिला गौतमबुद्धनगर के तहसील जेवर के प्रस्तावित ग्राम अमरपुर पलाका में सम्मलित हुई है, क्या ग्राम अमरपुर पलाका (झुप्पा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिसूचित सूचि में है ?	
2	दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत हरियाणा राज्य से प्राप्त ग्राम फलैदा खादर (सोलड़ा) व ग्राम अमरपुर पलाका (झुप्पा) की भूमि में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कोई प्लान/योजना प्रस्तावित की गई है ?	
3	क्या दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत हरियाणा राज्य से प्राप्त ग्राम फलैदा खादर (सोलड़ा) व ग्राम अमरपुर पलाका (झुप्पा) की भूमि के अन्तरण/हस्तान्तरण/क्रय–विक्रय पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रोक लगाई हुई है ?	
4	उपरोक्त सम्बन्ध में टिप्पणी (यदि कोई हो)	

अतःआपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही उपरोक्त सूचना को प्रमाणित कर निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

PIO-LAND
R.T.I.-21892
19.5.23

PIO Land
19/5/23

Bhadwaj
भवदीय

संजीव कुमार शर्मा एड्वोकेट
जनपद गौतमबुद्धनगर उ0प्र0
मौ0नं0–[redacted]

SANJEEV KUMAR SHARMA
Advocate
Reg. No.-372/2021
Gautam Buddha Nagar (U.P.)